

भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र / Nuclear Fuel Complex
भर्ती - III / Recruitment-III

ईसीआईएल डाक ECIL P.O.,
हैदराबाद Hyderabad-500062.

No.NFC/Rect-III/Circular/2023/10

dt:26.04.2023.

पृष्ठांकन ENDORSEMENT

Sub: सीएचएसएस के तहत अस्तपताल आवास के लिए पात्रता का पुनर्वर्गीकरण।
Re- classification of entitlement of Hospital accommodation
under CHSS – Regarding.

उपरोक्त विषय पर औ.सं.एवं क अनुभाग से प्राप्त दिनांक 13.04.2023 के कार्यालय ज्ञापन सं 7/16/2016/IR&W/4909 की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है।

A copy of Office Memorandum No.7/16/2016/IR&W/4909 dated 13.04.2023 received from IR&W Section, DAE on the captioned subject is forwarded for information & necessary action.

शुभलक्ष्मी जे
26/04/2023

(शुभलक्ष्मी जे. / Subhalakshmy J.)
सहायक कार्मिक अधिकारी/Asst. Personnel Officer

इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट / **electronic Notice Board**
सूचना पट / **Notice Boards**



(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
22824354



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION



अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400 001.

सं. Ref : 7/16/2016/IR&W/4909

अप्रैल April 13, 2023

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय: सीएचएसएस के तहत अस्पताल आवास के लिए पात्रता का पुनर्वर्गीकरण।

Sub : Re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS.

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए अस्पताल आवास की पात्रता को विभाग के दिनांक 21.07.2017 के का.ज्ञा.सं. 7/16/2016/IR&W/9795 के द्वारा अधिसूचित किया गया था।

Consequent on implementation of 7th CPC the entitlement of Hospital accommodation for CHSS beneficiaries was notified by the Department vide OM No. 7/16/2016/IR&W/9795 dated 21.07.2017.

2. अस्पताल आवास की पात्रता के मामले की सीएचएसएस समीक्षा समिति द्वारा पुनः जांच की गई और वेतन के बजाय लेवल के आधार पर अस्पताल आवास की पात्रता के पुनर्वर्गीकरण की संस्तुति की गई। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में यह निर्णय लिया गया है कि सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अस्पताल आवास के वर्गीकरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :

The matter of entitlement of hospital accommodation was re-examined by the CHSS Review Committee and recommended the re-classification of entitlement of Hospital accommodation based on level rather than Pay. In supersession of the above said OM, it has been decided to revise the classification of entitlement of hospital accommodation for serving / retired employees as follows:

क्र.सं. Sr. No.	लेवल के आधार पर कर्मचारियों की श्रेणी Category of employees according to level	आवास की श्रेणी Class of Accommodation
1	लेवल 8 तक Upto Level 8	कॉमन टाइलेट/बाथरूम के साथ एक कमरे में 4 बेड 4 beds in a room with common toilet/bathroom
2.	लेवल 9- लेवल 14 Level 9 – Level 14	अटैच टाइलेट/बाथरूम के साथ एक कमरे में 2 बेड 2 beds in a room with attached toilet/bathroom

3	लेवल 15 व उससे ऊपर Level 15 and above	रेफर किए गए अस्पताल में उपलब्धता के आधार पर अटैच टाइलेट/बाथरूम के साथ सिंगल बेड एसी आवास Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet/bathroom
---	--	--

3. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन की समरूपता टेबल के अनुसार गणना की जाएगी।

The pay of retired employees prior to 7th CPC may be calculated as per concordance table.

4. अस्पताल आवास के संबंध में सभी अन्य प्रावधान दिनांक 22.01.1998 के का.जा.सं. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 द्वारा परिचारित सीएचएसएस के अनुलग्नक-1 के अनुसार रहेंगे।

All other provisions regarding entitlement of Hospital accommodation are as indicated in Annexure-I of CHSS circulated vide OM No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22.01.1998.

5. यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।

This OM will be effective from the date of its issue.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

(ई. रवींद्रन E. Ravendiran)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासन प्राधिकारी/ यूनिट प्रमुख/ यूनिटों के प्रशासनिक प्रधान
All CHSS Administering Authorities / Heads of Units / Administrative Heads of Units:

प्रति Cc :

1. अध्यक्ष एईसी एवं सचिव, पऊवि का कार्यालय
O/o Chairman AEC & Secretary, DAE
2. संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि का कार्यालय O/o JS(A&A), DAE
3. पऊवि, दर्पण DAE, Darpan.